भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *163
दिनांक 31.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के तहत निरीक्षण

†*163.श्री राजेश वर्माः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुरू किए गए निरीक्षण संबंधी प्रयासों के प्रमुख उद्देश्यों और कार्यक्षेत्र का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इसके अंतर्गत जलापूर्ति की गुणवत्ता जांच को शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इन निरीक्षणों के लिए किन-किन राज्यों की पहचान की गई है और उनके चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;
(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ नियुक्त दलों के निष्कर्षों का उपयोग कार्यान्वयन कार्यनीतियों में सुधार लाने और स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यह कदम हर घर जल पहल के अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को किस प्रकार दर्शाता है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी. आर. पाटिल)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 31.07.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *163 में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता वाली पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से कार्यान्वित होने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की। मिशन के तहत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, अगस्त 2019 में केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी, जबकि 28.07.2025 तक 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.67 करोड़ (80.96%) से अधिक परिवारों के पास नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

निगरानी तंत्र के भाग के रूप में, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय वाश विशेषज्ञों और एनजेजेएम अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से क्षेत्रीय दौरे किए जाते हैं। इन दौरों के उद्देश्यों में जेजेएम के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की पुष्टि करना, राज्य/जिला स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ समुदाय के सदस्यों के साथ जुड़ना और कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना शामिल है। इसके अलावा, अप्रैल 2025 से, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी डीडीडब्ल्यूएस द्वारा पहचानी गई जेजेएम योजनाओं का मासिक निरीक्षण कर रहे हैं। राज्य द्वारा गठित टीम निर्माण की गुणवत्ता, समय-सीमा का अनुपालन, सेवाओं की उपलब्धता, मुद्दों के समाधान आदि को देखने के लिए जेजेएम योजनाओं का निरीक्षण करती है। इसके अलावा, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार ने अभिचिह्नित जिलों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) योजनाओं के जमीनी निरीक्षण के लिए केंद्रीय नोडल अधिकारी (सीएनओ) भी नियुक्त किए हैं।

दौरों के लिए राज्यों का चयन करने के मानदंड पाइपगत जलापूर्ति स्कीमों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति, कार्य पूरा होने की स्थिति, कार्यशीलता, अनियमितताओं से संबंधित मामलों आदि सहित कई कारकों पर आधारित होते हैं। इसके अतिरिक्त, उभरती प्राथमिकताओं तथा कार्यक्रम की विशिष्ट आवश्यकताओं पर भी चयन आधारित होता है। यह व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित किया जाए और कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रभावी तथा पारदर्शी बना रहे।

(घ) और (ङ): पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। जमीनी स्तर पर आधारित

सत्यापन दौरों के अवलोकन मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे राज्य योजना के कार्यान्वयन में अंतराल की पहचान करने और सुधारात्मक उपाय करने में सक्षम बनते हैं।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025 के दौरान वर्धित परिव्यय के साथ 2028 तक जेजेएम के विस्तार की घोषणा की। इस विस्तारित अवधि में स्थिरता और नागरिक-केंद्रित जल सेवा सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए "जन भागीदारी" के माध्यम से ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता तथा संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) को प्राथमिकता देकर जेजेएम के तहत शेष कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

*****